HINDUSTAN, Bareily, 25.10.2020
Page No. 4, Size:(21.70)cms X (10.81)cms.

मानवाधिकार से हार्टमन की शिकायत

बरेली | वरिष्ठ संवाददाता

- फीस में रियायत को पड़ोसियों से सिफारिशी पत्र मांगने का विरोध
- स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई करने की पैरेंट्स फोरम ने उठाई मांग

हार्टमन कॉलेज का फीस रियायत के लिए पड़ोसियों से सिफारिशी पत्र मांगने का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में पहुंच गया है। पैरेंट्स फोरम के कन्वीनर खालिद जिलानी ने हार्टमन कॉलेज पर कार्रवाई की मांग की।

हार्टमन कॉलेज फीस में रियायत देने के लिए अभिभावकों से एक फार्म भरवा रहा है। इस फार्म में अभिभावकों को अपने पड़ोसियों से भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में लिखवाकर लाना है। इसका भारी विरोध हो रहा है। अब इसकी शिकायत आयोग में की गई है। खालिद जिलानी ने बताया कि निजी स्कूलों का वर्षों से आर्थिक, सामाजिक रूप से कमजोर अभिभावकों को फीस में ट्रस्ट-सोसाइटी के नियमानुसार कुछ रियायत देने का नियम है।

हार्टमन कॉलेज का कदम अनुचित ही नहीं बल्कि अभिभावकों व विद्यार्थियों को अपने पड़ोसियों की नजर में शर्मिंदा करने और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला है। स्कूल प्रबंधन की इस अनुचित मांग के कारण जरूरतमंद अभिभावक शर्मिंदगी के कारण या तो आवेदन ही नहीं कर रहे हैं या फिर उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है जोकि सामाजिक, नैतिक और ट्रस्ट-सोसाइटी के नियमानुसार अनुचित व्यवहार है। मैंने प्रशासन व स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर उक्त अनुचित संस्तुति-पत्र मांगने पर प्रतिबंध लगाने व अभिभावक, विद्यार्थि जनहित में स्कूल प्रबंधन के वि उचित कानूनी कार्रवाई करने के अ पारित करने की मांग की है।

विवाद के बाद स्कूल नहीं लेगा सिफारिशी पत्र

विवाद के बाद हार्टमन कॉलेज ने पड़ोसियों का सिफारिशी पत्र लेने का प्रावधान समाप्त कर दिया है। प्रधानाचार्य अनिल कुमार कुल्लू ने कहा कि हमने अभिभावकों की सहूलियत के लिए ही यह कदम उठाया था। हमारा मकसद थ कि किसी भी हाल में किसी छात्र की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। यदि पड़ोसियों पत्र लाने में अभिभावकों को आपत्ति है तो इस प्रावधान को समाप्त किया जाता है